संख्या-65/2023/001-65/23-10-23-03-सेतु-2023

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्य ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 02 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 09 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

&&&&&&&&&&&&&

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्रम सं0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	09/नदी सेतु,आजमगढ़ क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 02.01.2023
2	03/नदी सेतु /आजमगढ़ क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 02.01.2023
3	04/नदी सेतु /आजमगढ़ क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 02.01.2023
4	08/नदी सेतु /आजमगढ़ क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 02.01.2023
5	07/नदी सेतु /आजमगढ़ क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 02.01.2023
6	06/नदी सेतु /आजमगढ़ क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 02.01.2023
7	10/नदी सेतु /वाराणसी क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 02.01.2023
8	948/नदी सेतु /मध्य क्षेत्र/बी0एम0सी0/2022 दिनांक 04.01.2023
9	946/नदी सेतु /मध्य क्षेत्र/बी0एम0सी0/2022 दिनांक 04.01.2023

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के 09 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 2270.38 लाख (रूपये बाईस करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 से कॉलम-7 में अंकित कुल रू0 1258.92 लाख (रूपये बारह करोड़ अटठावन लाख बानवें हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- (धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन की			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग ¼5$6½	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलिया	जनपद बलिया में वशिष्ठ नगर प्लाट के सामने पुलिया एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	350.88	138.23	37.21	175.44	लो0नि0वि0

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन की			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग ¼5$6½	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	बलिया	जनपद बलिया में श्रीनगर बंधे के पास पुलिया एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	261.82	103.14	27.77	130.91	लो0नि0वि0
3	बलिया	जनपद बलिया में रेवती बाड़ीगढ़ के सामने नाला पर पुलिया एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	352.70	138.95	37.40	176.35	लो0नि0वि0
4	बलिया	जनपद बलिया में गोपालनगर में कोयलाबीर बाबा के स्थान के पास पुलिया एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	330.01	130.01	35.00	165.01	लो0नि0वि0
5	बलिया	जनपद बलिया में दतहा में पुलिया एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	324.70	127.92	34.43	162.35	लो0नि0वि0
6	मऊ	जनपद मऊ में विक्कमपुर पँचफेड़वा में नौका नाला पर लघु सेतु का निर्माण कार्य।	187.15	117.96	31.76	149.72	लो0नि0वि0
7	जौनपुर	जनपद जौनपुर में ग्राम पटटी एवं लतीफपुर के मध्य कुंवर नदी पर पुल, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	237.84	93.70	25.22	118.92	लो0नि0वि0
8	उन्नाव	जनपद उन्नाव देवगॉव सम्पर्क मार्ग में नाले के ऊपर 1x6.00 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट (1/64/0) एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	73.14	46.10	12.41	58.51	लो0नि0वि0
9	लखीमपुरखीरी	जनपद लखीमपुरखीरी में देवस्थान कठारे बाबा मन्दिर जाने वाले खडंजे पर 3x5 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	152.14	95.90	25.81	121.71	लो0नि0वि0
			2270.38	**991.91**	**267.01**	**1258.92**	

<u>नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों</u>

(1) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**

(2) **प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**

(3) **कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।**

(4) **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।**

(5) **प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य /मद के लिये है उसी कार्य /मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।**

(6) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(14) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(17) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-**2022-231/2022**, दि0 07 जून, 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/बी-1-749/दस-**2022-231/2022**, दि**0 04** नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये **9**,91,91,**000** (रुपये नौ करोड़ इक्यानबें लाख इक्यानबें हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **057** लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य *ए*) रुपये **2**,**67**,01,**000** (रुपये दो करोड़ सड़सठ लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **083** लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-482-X-**2022-23**-दिनांकः **31-01-2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शरद सक्सेना)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-65/2023/001-37(1)/23-10-23,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
10-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।